

“बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी चेतना का उदय एक ऐतिहासिक अध्ययन”

**Vijay Kumar, Research Scholar, Department of History,
M.M. College, Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.**

**Dr. Sunita Sirohi, Supervisor, Department of History,
M.M. College, Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.**

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बिरसा मुंडा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने न केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ही संघर्ष किया, बल्कि अपने समाज को सामाजिक और धार्मिक सुधारों के माध्यम से एक नई दिशा भी दी। वे भारतीय उपमहाद्वीप के उन विरले जननायकों में से एक थे जिन्होंने अल्पायु में ही पूरे क्षेत्र में आदिवासी चेतना को जागृत किया। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्यप्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में उन्होंने "उलगुलान" (महाविद्रोह) की जो लौ जलाई,¹ उसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिला दिया। बिरसा मुंडा की आज भी आदिवासी समाज में "धरती आबा"² अर्थात् धरती पिता के रूप में पूजा की जाती है।



बिरसा मुंडा का प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा :-

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर 1875 को उलीहातु गाँव, रांची जिला, बंगाल प्रेसीडेंसी (तत्कालीन खूंटी जिला, झारखंड) में हुआ।³ उनके पिता सुगना मुंडा एक साधारण किसान थे और माता करमी हातु गृहिणी थीं।⁴ उनका परिवार गरीब था और पारंपरिक रूप से कृषि, और पशुपालन पर निर्भर था। मुंडा समाज के लोग प्रकृति पूजक थे। वे सिंगबोंगा (सूर्य देव) को सर्वोच्च ईश्वर मानते थे।⁵ बिरसा का प्रारंभिक जीवन गरीबी और संघर्ष में व्यतीत हुआ। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत बुद्धिमान, परिश्रमी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे नेतृत्व गुणों से संपन्न थे। उनके साथी उन्हें 'बिरसा भोला' कहकर पुकारते थे, क्योंकि वे शांत, परंतु गहरी सोच वाले बालक थे। बिरसा ने प्रारंभिक शिक्षा सलगा गाँव में अपने नाना के घर प्राप्त की। वहाँ वे जयपाल नाग⁶ नामक एक स्थानीय शिक्षक के पास पढ़ते थे। इसके बाद उन्हें आगे की शिक्षा के लिए चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में भेजा गया। इस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम था और ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित विद्यालय ही प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। इन विद्यालय में केवल ईसाइयों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसलिए बिरसा को भी ईसाई धर्म अपनाना पड़ा और अपना नाम परिवर्तित करके बिरसा डेविड और फिर बिरसा डॉड रखना पड़ा था।⁷ यहाँ पर पढ़ते समय उन्होंने मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के बीच धर्मातरण के प्रयासों को देखा। उन्होंने पाया कि ईसाई मिशनरियाँ आदिवासी समाज की परंपराओं को "अंधविश्वास" कहकर तिरस्कृत करती हैं और उन्हें अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास करती हैं। इससे बिरसा के मन में गहरी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने अनुभव किया कि उनके आदिवासी समाज की धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक एकता खतरे में है। यहीं से उनके भीतर स्वाभिमान और सामाजिक जागरण की भावना

प्रबल हुई। कुछ समय बाद बिरसा ने मिशन स्कूल छोड़ दिया और अपने परिवार सहित ईसाई धर्म का त्याग कर अपने पारंपरिक "हिंदू धर्म" में वापसी की। उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने समाज को बाहरी प्रभावों से मुक्त कर पुनः उसकी आत्मा को जाग्रत करेंगे।

तत्कालीन आदिवासी समाज की प्रमुख समस्याएं और बिरसा मुंडा:-

19वीं शताब्दी में आदिवासी समाज कई समस्याओं से जूझ रहा था जैसे मिशनरियों से उत्पन्न धार्मिक संकट, तत्कालीन आदिवासी समाज में उत्पन्न कुरीतियों और अंधविश्वास, ब्रिटिश शासन, जर्मांदारों तथा महाजन द्वारा आदिवासी समाज का शोषण आदि की समस्या⁸ इन समस्याओं ने न केवल समाज को भ्रमित किया बल्कि उसे बाहरी शक्तियों के शोषण के प्रति असहाय बना दिया। ऐसे समय में बिरसा मुंडा (1875-1900) ने आदिवासी समाज को अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्त कराने के लिए एक धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन चलाया। उनका यह अभियान केवल सुधार का नहीं, बल्कि आत्म-जागरण का प्रतीक था।

1. ईसाई मिशनरियों से उत्पन्न धार्मिक संकट और बिरसा मुंडा :-

उन्नीसवीं शताब्दी का भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। यह काल न केवल राजनीतिक दासता का, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संकट का भी दौर था। झारखण्ड, बिहार और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुए,⁹ क्योंकि ब्रिटिश शासन के साथ ही वहाँ ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ तेजी से फैलीं। इन मिशनरियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के नाम पर आदिवासियों के धर्मांतरण (Conversion) का व्यापक अभियान चलाया। इससे आदिवासी समाज की परंपरागत धार्मिक आस्था, संस्कृति और पहचान को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। अतः धर्मांतरण के कारण एक ही गांव या परिवार के लोग दो अलग-अलग धर्म में बटने लगे अर्थात् कुछ लोग ईसाई बन गए जबकि कुछ लोग अपने पारंपरिक धर्म पर अड़िंग रहे। इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरी में आदिवासी संस्कृति को अंधविश्वास कहकर बंद करने का प्रयास किया के साथ-साथ ब्रिटिश प्रशासन ने भी ईसाई मिशनरियों को संरक्षण दिया, जिससे आदिवासियों को लगा कि यह धर्मांतरण एक राजनीतिक हथियार है। इस प्रकार धार्मिक असंतुलन ने आदिवासी समाज की एकता, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक पहचान को तोड़ दिया।

इसी धार्मिक संकट की पृष्ठभूमि में बिरसा मुंडा का उदय हुआ जिन्होंने अपने समाज को विदेशी धर्म और संस्कृति के प्रभाव से बचाने के लिए एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू किया अपने कार्य को नवीन दिशा देने हेतु बिरसा में एक नवीन धर्म 'बिरसाइट धर्म' की स्थापना की,¹⁰ जो आदिवासी संस्कृति पर आधारित था। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईसाई मिशनरी द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण को आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा बताया। अतः बिरसा मुंडा के आदेशानुसार जल्द ही बहुत से आदिवासी लोगों ने ईसाई धर्म का परित्याग कर दिया। बिरसा मुंडा ने इस धर्म के माध्यम से एकेश्वरवाद पर बल दिया और अपने समर्थकों को सिंहबोंगा की पूजा करने की सलाह दी। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया।¹¹ इसके पश्चात हजारों की संख्या में आदिवासी लोगों बिरसा को देखने व सुनने आने लगे और इस प्रकार बिरसा मुंडा ने अपने लोगों से ईसाई धर्म का परित्याग करके अपनी आदिवासी संस्कृति को अपनाने का आह्वान किया।

बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने उन्हें 'धरती आबा' (धरती पिता) का दर्जा दिया।¹² यह उपाधि इस बात का प्रतीक थी कि बिरसा मुंडा धर्म और समाज दोनों के रक्षक हैं।

2. आदिवासी समाज में व्याप्त कुरीतिया एवं अंधविश्वास और बिरसा मुंडा :-

औपनिवेशिक काल के दौरान, जब आदिवासी समाज पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट गहराया, तब उनके जीवन में कई ऐसी कुरीतियाँ और बुराइयाँ घर कर गईं जिनमें मद्यपान (शराब सेवन) और अंधविश्वास प्रमुख थे।¹³ इन बुराइयों ने आदिवासी समाज को भीतर से कमजोर कर दिया। इस समय आदिवासी समाज सामाजिक परंपरा के नाम पर मद्यपान का सेवन करने लगा था। इसके अतिरिक्त आदिवासी समाज में जादू-टोना, भूत-प्रेत,, बलि प्रथा आदि का गहरा प्रभाव था। बीमारी, असफलता या प्राकृतिक आपदा को दृष्ट आत्माओं या देवता के प्रकोप का परिणाम माना जाता था।¹⁴ कई बार महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाकर उन्हें प्रताङ्गित किया जाता था। इस प्रकार अंधविश्वास ने समाज को अज्ञानता और भय में जकड़ लिया था। मद्यपान और अंधविश्वास आदिवासी समाज की कमजोरी बन चुके थे, जिन्होंने उनके आत्मबल को खोखला कर दिया था। बिरसा मुंडा ने यह पहचाना कि यदि समाज को शोषण से मुक्त करना है, तो पहले उसे अज्ञानता और आत्मविनाश की प्रवृत्तियों से मुक्त करना होगा।

इसी तरह का एक उदाहरण 1894 में देखने को मिला। जब वर्षा न होने के कारण छोटानागपुर में भयंकर अकाल और महामारी उत्पन्न हो गई।¹⁵ आदिवासी लोगों ने इसे देवीय प्रकोप समझा परंतु उस समय बिरसा मुंडा ने पूर्ण समर्पण से लोगों की सेवा की और अपने चिकित्सीय ज्ञान के आधार पर बीमारी को ठीक करने में सफलता पाई। बिरसा मुंडा ने बताया चेचक, सर्पदंश या बाघ द्वारा खा लिए जाना ईश्वरीय प्रकोप नहीं है। बिरसा ने आदिवासियों को सिखाया कि चेचक, हैज़ा से कैसे लड़ा जाता है। सर्पदंश दैवीय प्रकोप नहीं वरन् उसका इलाज किया जा सकता है, इत्यादि।¹⁶ अतः लोग उनके पास अपनी समस्याओं के निदान के लिए आने लगे। इस प्रकार बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को अंधविश्वास से बाहर निकाल कर बीमारियों के इलाज के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया उन्होंने कहा की बीमारी इलाज से ठीक की जा सकती है इसमें दिव्या प्रकोप जैसा कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त बिरसा मुंडा ने अंधविश्वासजादू टोना, बलि और भूत-प्रेत की मान्यताओं को गलत ठहराया। मद्यपान को उन्होंने सामाजिक पतन का कारण बताया। नैतिक जीवन और एकता पर आधारित जीवन जीने का उपदेश दिया। आज भी आदिवासी समाज के लोकगीतों में बिरसा का महिमा मंडल आदिवासी समाज पर बिरसा के प्रभाव का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने लोगों से अपने पारंपरिक धर्म "बिरसाइत धर्म" को अपनाएँ का आवाहन किया, जो सत्य और समानता पर आधारित था।

3. ब्रिटिश शासन, जर्मांदारों और महाजनों द्वारा शोषण :-

ब्रिटिश शासन से पहले मुंडा समाज में "खूँटकट्टी प्रथा" (Khuntkatti System) प्रचलित थी।¹⁷ इस व्यवस्था में भूमि सामूहिक स्वामित्व की थी गाँव की जमीन सभी परिवारों में समान रूप से बँटी रहती थी, और उसका उपयोग व नियंत्रण समुदाय के वरिष्ठ मुखिया के अंतर्गत होता था। परंतु ब्रिटिश राजस्व नीति के लागू होने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने 1882 में इंडियन फारेस्ट एक्ट पारित करके नई भूमि व्यवस्था लागू किया इस व्यवस्था में जर्मांदारों, ठेकेदारों और महाजनों को भूमि का स्वामी बना दिया।¹⁸ इससे आदिवासी समुदाय अपनी ही भूमि में मजदूर बन गया।

ब्रिटिश शासन के तहत जर्मींदारों और महाजनों को असीमित अधिकार मिल गए। उन्होंने आदिवासियों से भारी लगान, बेगार और जबरन श्रम की वसूली शुरू की। जर्मींदार आदिवासियों की जमीनें कब्जा कर लेते और उन्हें बंधुआ मज़दूर की तरह काम करने पर मजबूर करने लगे महाजन अत्यधिक ब्याज पर कर्ज़ देते थे, जिसे आदिवासी कभी चुका नहीं पाते थे। धीरे-धीरे उनकी जमीनें गिरवी पड़ती और वे कर्ज़ में डूब जाते। इस शोषण ने आदिवासी समाज की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी और उनके परंपरागत जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। इस समय बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फुकी। आदिवासी लोगों में जल, जंगल, जमीन की दावेदारी के अलख जगाई।¹⁹

4. राजनीतिक चेतना और "उलगुलान" (महाविद्रोह):-

सामाजिक और धार्मिक सुधारों के साथ ही बिरसा ने राजनीतिक मोर्चे पर भी संघर्ष शुरू किया। ब्रिटिश शासन ने जब "भूमि बंदोबस्त प्रणाली" लागू की, तो आदिवासियों की जमीनें जर्मींदारों और महाजनों के हाथ चली गईं। आदिवासी किसान अपने ही खेतों में मज़दूर बन गए। बिरसा ने इस अन्याय के विरुद्ध जन-आंदोलन खड़ा किया। बिरसा मुंडा ने अपने जंगलों के अधिकारों को वापस लेने के लिए आंदोलन को तीव्र कर दिया उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित कर "उलगुलान" अर्थात् महाविद्रोह का नारा दिया।²⁰ बिरसा मुंडा ने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से लोगों में एक नई चेतना जगाई। उन्होंने गाँव-गाँव जाकर सभाएँ कीं, लोगों को हथियार बनाने और प्रशिक्षण देने की प्रेरणा दी। छोटा नागपुर का क्षेत्र उलगुलान आंदोलन का केंद्र बिंदु बनकर उभरा। महिलाओं ने भी बिरसा मुंडा से प्रेरित होकर आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया।²¹ ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। उन्होंने इसे "मुंडा विद्रोह" कहा और इसे कुचलने के लिए विशेष सैन्य अभियान चलाया। बिरसा ने भी अपनी "सेना" बनाई जिनके पास पारंपरिक हथियार, धनुष-बाण और तलवारें थीं। उन्होंने सरकारी कार्यालयों, पुलिस चौकियों और मिशन केंद्रों पर हमला किया। कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए, और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। 1897 से 1900 के मध्य ब्रिटिश सरकार और आदिवासियों के बीच के अनेकों लड़ाइयां हुईं परंतु हर बार ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों की गोरिल्ला युद्ध नीति के कारण पराजय का सामना करना पड़ा। उनका संदेश था "अबुआ दिशुम अबुआ राज (हमारा देश, हमारा राज)"²² जब ब्रिटिश सरकार बिरसा मुंडा का दमन करने में असफल रही तब उसने रणनीति व कूटनीति चाल चली और बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए ₹500 की धनराशि के इनाम की घोषणा की। ₹500 के इनाम के लालच में आकर बिरसा मुंडा के एक निजी साथी ने ब्रिटिश सरकार को बिरसा मुंडा की ठिकाने की गुप्त सूचना दी और इस प्रकार जनवरी 1900 ई. को जब बिरसा मुंडा डोमबाड़ीपहाड़ी पर अपने मुंडा आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे तभी ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। मुंडा आदिवासियों और ब्रिटिश सरकार के मध्य लड़ाई हुई। बहुत से आदिवासी लोग, महिलाएं, बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए।

3 जनवरी 1900 में चक्रधरपुर की मुठभेड़ यह आंदोलन का निर्णायक क्षण था। अंग्रेजी सेना ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 9 जून 1900 को बिरसा ने रांची की कारागार में आखिरी सांस ली।²³ उनकी मृत्यु के बाद मुंडा विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। मुंडा आदिवासी द्वारा उनका आंदोलन और विचारों का

प्रचार प्रसार होता रहा। उनके अनुयायियों ने उनके नाम पर संगठनों की स्थापना की जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन को यह स्वीकार करना पड़ा कि छोटानागपुर क्षेत्र में भूमि व्यवस्था अन्यायपूर्ण थी। अतः ब्रिटिश शासन द्वारा 1908 में "छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम" (Chotanagpur Tenancy Act) पारित किया गया, जिससे मुंडा आदिवासियों की जमीनी अधिकार वापस मिल गए और उनकी बेकारी की समस्या से भी रक्षा हुई।

बिरसा मुंडा की विरासत :-

बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद भी उनके विचार और आंदोलन ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। बिरसा मुंडा के योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने कई प्रमुख सम्मान और स्मृति संस्थान स्थापित किए हैं। 15 नवम्बर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के दिन ही भारत सरकार ने उनके सम्मान में झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 15 नवम्बर (बिरसा मुंडा का जन्मदिन) को "जनजातीय गौरव दिवस" के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के सम्मान में और भी अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाए जैसे बिरसा कॉलेज (खूंटी जिला) की स्थापना, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (रांची) की स्थापना, बिरसा मुंडा सेंट्रल यूनिवर्सिटी (झारखंड) की स्थापना, बिरसा मुंडा जेल परिसर (रांची) को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा (रांची) डाक टिकट, मुद्रा का निर्माण, राष्ट्रीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण, झारखंड राज्य में डेढ़ सौ फीट ऊंची उनकी प्रतिमा का निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त बहुत से साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं में भी बिरसा मुंडा को विशेष स्थान प्रदान किया है। इसके साथ साथ बहुत सी सड़कें, चौक, और भवन भी बिरसा मुंडा के नाम पर रखे गए हैं,

निष्कर्ष :-

बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, त्याग और प्रेरणा की कहानी है। वह भारतीय इतिहास में एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जनजातीय नेता, मुंडाओं के भगवान, धरती पिता आदि नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कोई भी समाज तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक उसमें आत्मगौरव, एकता और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान न हो। उनकी अल्पायु (25 वर्ष) में किया गया कार्य युगों तक स्मरणीय रहेगा। वे केवल झारखंड के नहीं, बल्कि पूरे भारत के आदिवासी गौरव, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रतीक हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास के उन वीरों में अमर रहेगा जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. देवी, महाश्वेता, जगत के दावेदार, राधाकृष्ण प्रकाशन, 1 सितंबर 2019, पृष्ठ संख्या 188.
2. कुमार, डॉ० मुकेश, अमर शहीद बिरसा मुंडा की विरासत अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, छत्तीसगढ़, 9 जून 2020.
3. कुंवर गोपी कृष्ण, बिरसा मुंडा, ज्ञान गंगा पब्लिकेशन, दिल्ली 1 जनवरी 2018, पृष्ठ संख्या - 19, 30.
4. सिन्हा, अनुज कुमार, झारखण्ड के आदिवासी: पहचान का संकट, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 1 जनवरी 2019, पृष्ठ संख्या 131.
5. सिन्हा, कुमार अनुज, ब्यूरोक्रेट्स और झारखण्ड प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली 1 जनवरी 2019, पृष्ठ संख्या 133,139.
6. मीणा केदार प्रसाद आदिवासी समाज साहित्य और राजनीति, अनुग्रह बुक्स दिल्ली, 1 जनवरी 2016.

7. प्रेरणा उलगुलान: विद्रोह की वो तागतवर आवाज जिसे दबाने में अंग्रेजों के पसीने छूट गए, 15 नवंबर 2019.
8. येशनकर, रमेशचंद्र 'उलगुलान बिरसा मुंडा का दर्शन, बीएसपीके नागपुर महाराष्ट्र 2018.
9. मेहरोत्रा के. एस. आधुनिक भारत का आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक इतिहास, प्रकाशन बुक डिपो 2011.
10. पांडे एस. के, आधुनिक भारत, प्रयाग सिविल अकेडमी पब्लिकेशन इंडस्ट्रीज, 2015.
11. डागर, निशा. बंसल, मुंडा व आदिवासी जिसने ब्रिटिश सरकार से लड़ी जल, जंगल और जमीन की दावेदारी की लड़ाई।
- 12.झारखण्ड के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, डॉ. रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची, झारखण्ड सरकार।
- 13.सिन्हा सुरेन्द्र प्रसाद, बिरसा भगवान और उनका उलगुलान, डॉ. रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची, झारखण्ड सरकार।
- 14.फुक्स, स्टीवन.(1955).भारत में आदिवासियों की समस्या,आर्थिक व राजनीति संस्था, गोखल, पूना,पृष्ठ संख्या 12.
- 15.सिंह, के.एस. (1985). भारत में जनजातीय समाज, मनोहर पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 290.
- 16.दोषी, एल.एस. तथा जैन, पी.सी. (2020). “जनजातीय समाजशास्त्र” रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, राजस्थान, पृष्ठ संख्या 288–289.
- 17.जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार। (2021).
- 18.राज्य जनजातीय कल्याण मंत्रालय रिपोर्ट, झारखण्ड। (2022).
- 19.Tudu meghanad, Birsa Munda, A Legendary Personality, Odisha Review, October 2022.
- 20.Singh K. S. Birsa Munda and His Movement (1874-1901), Oxford University Press 1983.
- 21."Birsa Munda: All you need to know about the tribal freedom Fighter "javaid, Jun 9, 2020.
22. Madhavi Pothukuchi "Birsa Munda - Freedom Fighter 'Dharti Abba' championed Tribal Right" Nov 15, 2019.
23. "Who was Birsa Munda" Express Web Desk Indian Express Nov, 15, 2017 accessed on Oct 3, 2020.